

उ.म.रे. के सा. एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-71, दिनांक- 13.09.2021 का राजभाषा में अनुवाद

- (संदर्भ: (i) वरि. मं. परि. प्रबं. (सम.)/झाँसी का पत्र सं.- झाँसी/टी/400/जी/जी एंड एसआर/21, दिनांक- 27.07.2021, मद सं.- 01.
(ii) ई-आफिस उ.म.रे. मुख्यालय ईएनजीजी(जीसी)/3/2021 कार्यालय डिप्टी सीई/टीएमसी/मुख्या./उ.म.रे., दि.-16.08.2021, मद सं.- 02.
(iii) सा. नियम 3.42 का विस्तार, मद सं. - 03)

01. वर्तमान स.नि. 6.07/1, 6.07/2, 6.07/3 और 6.07/4 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 71)

स.नि. 6.07/1 - यदि लोको पायलट और/अथवा गार्ड उस ट्रैक में जिससे होकर उनकी गाड़ी गुजरी है, किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करते हैं और वह यह समझते हैं कि ट्रैक का वह भाग, जिससे होकर उनकी गाड़ी गुजरी है, बाद में आने वाली गाड़ियों के संरक्षित संचालन के लिए असुरक्षित है तब वह निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे-

- (क) पूर्ण ब्लाक पद्धति में ब्लाक सेक्शन को क्लियर किए बिना अगले ब्लाक स्टेशन पर अपनी गाड़ी को रोकेंगे और उपलब्ध संचार साधन के माध्यम से स्टेशन मास्टर को यह सूचना देगा कि वह प्रभावित ब्लाक सेक्शन में इकहरी लाइन के मामले में दोनों सिरों से और दोहरी लाइन के मामले में पीछे से किसी गाड़ी को स्वीकृति न दें। आईबीएस (मध्यवर्ती ब्लाक सिग्नल पद्धति) और स्वचालित ब्लाक क्षेत्र के मामले में लोको पायलट को अपनी गाड़ी तुरंत रोक देनी चाहिए, ताकि उसकी गाड़ी के पीछे के स्वचालित सिग्नल अगली गाड़ी के लिए 'ऑफ' न हो सके, जो पहले से ही सेक्शन में प्रवेश कर चुकी हों और उपलब्ध संचार साधन के माध्यम से स्टेशन मास्टर को और पिछले स्टेशन से प्रस्थान कर चुकी और ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर चुकी गाड़ियों के लोको पायलट को गाड़ियों का संचालन रोकने के लिए कहेगा।
- (ख) स्वचालित ब्लाक क्षेत्र में स्टेशन मास्टर, टीपीसी को प्रभावित ब्लाक सेक्शन में ओएचई को तब तक 'ऑफ' रखने के लिए सूचित करेगा, जब तक कि प्रभावित लाइन पर संचालित सभी गाड़ियाँ रुक नहीं जाती।
- (ग) लोको पायलट सीयूजी/एमटीआरसी फोन द्वारा संबंधित टीएलसी/पावर कंट्रोलर को भी खराबी की सूचना लोकेशन सहित तुरंत देंगे।
- (घ) टीएलसी/पावर कंट्रोलर तुरंत इस मामले के बारे में संबंधित सेक्शन कंट्रोलर को और इंजीनियरिंग कंट्रोल को भी संबंधित इंजीनियरिंग पदाधिकारियों को सूचित करने के लिये अवगत कराएंगे।
- (ङ) सेक्शन कंट्रोलर तुरंत पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्रभावित खण्ड में गाड़ी संचालन को रोकने की सलाह देगा और रेलपथ में खराबी की सूचना जिस गाड़ी द्वारा प्राप्त हुई उसके बाद की जो गाड़ियाँ ब्लाक सेक्शन में पहले ही प्रवेश कर चुकी हैं, उन सभी गाड़ियों के लोको पायलटों को अगली सूचना मिलने तक तुरंत रुकने के लिए निर्देश देने हेतु टीएलसी/पावर कंट्रोलर को भी सूचना देगा।
- (च) प्रभावित ब्लाक सेक्शन में सभी गाड़ियों को रोक दिए जाने की पुष्टि कर लेने के बाद सेक्शन कंट्रोलर, टीएलसी/पावर कंट्रोलर के माध्यम से प्राइवेट नंबर के साथ जिस गाड़ी के कर्मिंदल ने खराबी की सूचना दी थी, यदि वह ट्रैक के खराब भाग को पार करने के बाद रुका हो, तो उसे प्रस्थान करने के लिए सलाह देगा।
- (छ) सेक्शन में जर्क अथवा लर्च महसूस करने वाला लोको पायलट इसके वास्तविक स्थान और अन्य विवरणों के बारे में अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लिखित मेमो देगा।
- (ज) सूचना प्राप्त होने पर इंजीनियरिंग कंट्रोल, समीप के सक्षम इंजीनियरिंग अधिकारी/ पर्यवेक्षक को इंजीनियरिंग कर्मचारियों सहित यदि आवश्यक हो, पहले उपलब्ध साधन, गाड़ी/ सड़क मार्ग द्वारा, जो भी साधन तत्काल उपलब्ध हो, उसके द्वारा खराबी वाले स्थान पर भेजने की तुरंत समुचित व्यवस्था करेगा। यदि आवश्यक हो, तो डबल लाइन सेक्शन में इंजीनियरिंग कर्मचारियों को विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी से भी भेजा जा सकता है।

झाँसी

पृष्ठ संख्या- 01 (कुल-04 पृष्ठ)

(झ) साइट का निरीक्षण करने के बाद यदि कोई आसानी से दृष्टि गोचर दोष जैसे रेल फ्रैक्चर, वेल्ड फ्रैक्चर, टूटी हुई एसईजे, फिश प्लेट में खराबी, लगातार पेंड्रोल क्लिपों का गायब होना और अन्य असामान्यताएं आदि जैसी कोई कमी नहीं पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में इंजीनियरिंग अधिकारी (रेलपथ) को गाड़ी के सुरक्षित संचालन के लिए ट्रैक का सही होना प्रमाणित करने से पूर्व या कोई गति प्रतिबंध लगाने से पूर्व, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में पिछले ब्लॉक स्टेशन से ट्रेन/ टावर वैगन/ लाइट इंजन द्वारा या स्वचल ब्लॉक पद्धति में, पिछले स्वचल ब्लॉक सिगनलिंग खण्ड में उपलब्ध गाड़ी द्वारा पायदान निरीक्षण करना चाहिए। एसएसई/जेई (रेलपथ) पहली उपलब्ध ट्रेन द्वारा सेक्शन का पायदान निरीक्षण करेंगे और पायदान निरीक्षण के दौरान गाड़ी की गति दिन में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तथा रात के दौरान या खराब दृश्यता की स्थिति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो और फुटप्लेट के लिए इस गति प्रतिबंध का अनुपालन लोको पायलट / गार्ड द्वारा सूचित प्रभावित स्थान से 02 किमी पहले से और प्रभावित स्थान से 500 मीटर बाद तक किया जाएगा अर्थात् पूर्ण ब्लॉक सेक्शन में, 2.5 किमी की दूरी प्रतिबंधित गति से और शेष सेक्शन की दूरी सामान्य गति से पूरी की जाएगी। फुटप्लेट के बाद वह गाड़ियों का संरक्षित संचालन सामान्य गति से अथवा यदि आवश्यक हो उपयुक्त गति प्रतिबंध के साथ, प्रमाणित करेगा और सर्वसंबंधितों को तदनुसार सूचित करेगा।

(ज) इंजीनियरिंग पदाधिकारी के आने तक गाड़ी का संचालन नहीं रोका जाएगा और नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा-

- पूर्ण ब्लॉक पद्धति में, गाड़ी 50 किमी प्रति घंटे के गति प्रतिबंध के सावधानता आदेश का पालन करते हुए ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करेगी और लोको पायलट गाड़ी को इस तरह कंट्रोल करेगा कि लोको पायलट/ गार्ड द्वारा सूचित प्रभावित किलोमीटर से 02 किलोमीटर पहले से ही 10 किमी प्रति घंटे की गति के साथ चले और यथानिर्दिष्ट प्रभावित स्थान से पहले ही गाड़ी को पूरी तरह रोक देगा। तत्पश्चात लोको पायलट ट्रैक की स्थिति के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद, प्रभावित हिस्से वाले किलोमीटर से आगे 500 मीटर तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी को पार करेगा, अर्थात् 2.5 किमी तक 10 किमी प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से और उसके बाद सामान्य गति से सेक्शन को पार करेगा अथवा यदि वह ट्रैक को पार करना असुरक्षित समझता है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को रोक देगा और संबंधित कंट्रोल और स्टेशन को इसके बारे में सूचित करेगा।
- ऑटोमैटिक सेक्शनों के मामले में, टीएलसी/पावर कंट्रोलर सेक्शन में रुकी हुई पहली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्क गति से गाड़ी आगे ले जाने और सात ओएचई मास्ट (खंभों) अथवा प्रभावित किलोमीटर से 500 मीटर पहले पूरी तरह से रुकने और संबंधित ट्रैक की स्थिति के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात 10 कि.मी. प्रति घंटा की गति से संबंधित ट्रैक से गाड़ी को पास करने का निर्देश देगा अथवा यदि वह (लोको पायलट) यह समझता है कि ट्रैक, गाड़ी गुजारने के लिए असुरक्षित है तो वह तुरंत रुके और सर्व संबंधितों को इसकी सूचना दे।

(ट) यदि लोको पायलट किसी ऐसी बात का पता नहीं लगा पाता जो गाड़ी के संचालन के लिए जोखिम भरा हो, तो ऐसी स्थिति में बाद की गाड़ियों को तब तक उसी तरीके से भेजा जाएगा जब तक कि इंजीनियरिंग पदाधिकारी गाड़ी को सामान्य गति से या गति प्रतिबंध के साथ चलाए जाने के लिए ट्रैक को फिट नहीं प्रमाणित कर देते।

(ठ) लोको पायलट द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना के अनुसार यदि स्थिति की पुष्टि हो जाती है, कि गाड़ियों के गुजरने के लिए ट्रैक असुरक्षित है, तब किसी गाड़ी के संचालन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि इंजीनियरिंग पदाधिकारी द्वारा ट्रैक को गाड़ियों के संचालन के लिए सुरक्षित प्रमाणित न कर दिया जाए।

नोट: यदि ट्रेन का गार्ड गाड़ी के संचालन के दौरान ट्रैक में किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है, तो उसे अपनी गाड़ी के लोको पायलट को वॉकी-टॉकी या संचार के किसी अन्य उपलब्ध साधन के माध्यम से इसके बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए, जिसके बाद लोको पायलट मद (क) से (ट) में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यदि गार्ड का लोको पायलट से संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है, तो उसे गाड़ी को रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए और लोको पायलट को सूचित करना चाहिए।

